HAMIRPUR POLICE

थाना कोतवाली नगर **दिनांक 24.06.2022**

अपहरण की घटना के 02 वांछित एवं इनामिया अभियुक्त गिरफ्तार

अवगत कराना है कि विगत दिनांक 30.05.2022 को कोतवाली सदर क्षेत्र अंतर्गत निवासी वैभव तिवारी (उम्र करीब 04 वर्ष) जिसको घर से अपहरण कर 50 लाख रुपये की फिरौती मांगने के सम्बन्ध मे अपहृत के पिता प्रभात तिवारी द्वारा कोतवाली सदर हमीरपुर में मु0अ0स0-135/22, धारा-364ए/307/452 आईपीसी में अभियोग पंजीकृत किया गया था। इस संबंध में पुलिस की टीमों द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए अपहृत बालक को 04 घण्टे के अंदर बरामद किया गया था। उपरोक्त घटना से सम्बंधित दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक हमीरपुर द्वारा पुलिस की 05 टीमों का गठन किया गया था एवं शीघ्र गिरफ्तारी के निर्देश दिए गए थे साथ ही वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु 25,000-25,000 का पुरस्कार घोषित किया गया था।

अभियुक्तों की पहचान हेतु पुलिस टीमों द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा था इसी क्रम में साक्ष्य संकलन एवं तथ्यों की गहनता से विवेचना के दौरान घटना कारित करने वाले 02 व्यक्तियों के नाम प्रकाश में आए जो वादी के करीबी रिश्तेदार हैं 1)सोमेश तिवारी पुत्र प्रदीप तिवारी निवासी कैलाश विहार जाजमऊ थाना चकेरी जनपद कानपुर नगर 2)सुमित तिवारी पुत्र दुर्गा प्रसाद तिवारी नि0 तिवारीपुर थाना जाजमऊ कानपुर नगर। आरोपियों के द्वारा रुपयों के लालच में घटना कारित की गई थी। उपरोक्त अभियुक्तों के संबंध में माननीय न्यायालय द्वारा वारंट जारी किया गया। अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीमों द्वारा लगातार दबिश दी जा रही थी।

दिनांक 23.06.2022 को अपर पुलिस अधीक्षक हमीरपुर के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी सदर के पर्वेक्षण मे कोतवाली सदर हमीरपुर पुलिस एवं एसओजी टीम हमीरपुर द्वारा कुरारा रोड स्थित रोहननाला के पास से दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों को न्यायिक अभिरक्षा भेजा जा रहा है।

अभियुक्तों से बरामदगी

1) 7320/- नकद, आधार कार्ड, दो सोने की अंगूठी, एक चाँदी की रिंग, एक चांदी की चैन
2) दो 315 बोर तमंचा व दो 315 बोर कारतूस
3) एक चाकू (घटना में प्रयोग की गयी)
4) एक बाइक पैशन प्रो घाटम पुर से चोरी की नम्बर यू0पी0-78 डी0पी0 8589

घटना करने का तरीका:-

आरोपी सोमेश तिवारी पुत्र प्रदीप कुमार तिवारी के पिता ने 2,80,000/- रु अपहृत वैभव तिवारी (सोमेश के चाचा का लड़का) के पिता को भेजना था जो पैसा शर्त में कही हार गया। पिता द्वारा जब भेजने की बात कही जाती थी तो यह बहाना बनाता कि सर्वर काम नही कर रहा है। इसी प्रकार 40,000/- रु दूसरा आरोपी सुमित तिवारी भी शर्त में हार गया था, सुमित तिवारी सोमेश तिवारी के छोटे भाई को होम ट्यूशन पढाता था और दोनों कालेज के दोस्त है। दोनों ने यह योजना सोमेश तिवारी के कहने पर बनाई कि चाचा प्रभात तिवारी के लड़के का अपहरण करके फिरौती मांगेगे इकलौती बेटा है। तुरन्त पैसा मिल जायेगा और काम हो जायेगा।

इस कार्य को अन्जाम देने के लिये दोनों दिनांक 27.05.2022 को घाटमपुर से एक बाइक चोरी किये जिसे लेकर अपहरण के चक्कर में प्रभात तिवारी के घर विवेक नगर हमीरपुर आये जहाँ सुमित ने दिन में करीब 13.00 बजे दरवाजा खुलवाया तो सोमेश की चाची निकली तो किसी का नाम पूछने का बहाना किया और वापस दोनों कानपुर चले गये, बाईक को बगल में खाली जगह पर खडी कर दिया सुबह देखे तो बाइक गायब थी। दिनांक 28.05.2022 को पुनः बस से घाटमपुर आये वहाँ से पैशन प्रो0 बाइक से बेतवा पुल के आगे एक व्यक्ति जो साइकिल से जा रहा था उसका मोबाइल छीने और राठ तिराहा से बस से होकर कानपुर चले गये। दिनांक 29.05.2022 को पुनः दोनों दिन में इसी बाईक से हमीरपुर आये और कामयाब न होने पर वापस कानपुर चले गये।

दिनांक 30.05.2022 को सुबह दोनों इसी बाईक से कानपुर से चल कर हमीरपुर आये और घटना को अन्जाम दिया और फिर सुमेरपुर पहुँचकर लूटे हुए मोबाइल से 50 लाख रुपये की माँग की और फिर टेढ़ा होते हुये जसपुरा के पहले बच्चे को गला दबाकर मारने की कोशिश की जब बेहोश हो गया तो पुल के अन्दर डालकर वापस आये और जब वहाँ वापस गये तो वैभव को होश में बैठा देख जान से मारने की नीयत से सोमेश द्वारा चाकू से उसका गला काट दिया और दोनो गूगल मैप लगाकर कानपुर के रास्ते पीपा का पुल पार कर सठगवा चौकी चांदपुर होते कानपुर चले गये। बाइक भीड़भाड़ के स्थान पर खडी करके दोनो घर गये, सुमित समाचार देखकर सोमेश के घर आया वैभव के मिलने व पुलिस की घटना की जानकारी होने के कारण सोमेश घर से 50 हजार रुपये लिया दोनों चले गये, इस दौरान लखनऊ, वाराणसी, चन्दौली में अपने को छिपाये रहे।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त सोमेश तिवारी पुत्र प्रदीप कुमार तिवारी

1) मु0अ0सं0-134/22, धारा-392 आईपीसी को0 नगर हमीरपुर (विवेचनाधीन)
2)मु0अ0सं0-135/22, धारा-364ए/307/452 आईपीसी को0 नगर हमीरपुर (विवेचनाधीन)
3) मु0अ0सं0-166/22, धारा-3/25 आर्म्स को0 नगर हमीरपुर (विवेचनाधीन)

4) मु0अ0सं0-167/22, धारा-4/25 आर्म्स एक्ट को0 नगर हमीरपुर (विवेचनाधीन)
5) मु0अ0सं0-169/22, धारा-41/411 आईपीसी को0 नगर हमीरपुर (विवेचनाधीन)
6) मु0अ0सं0-282/22, धारा-379 आईपीसी घाटमपुर कानपुर आउटर (विवेचनाधीन)
7)मु0अ0सं0-292/22, धारा-379/411 आईपीसी घाटमपुर कानपुर आउटर (विवेचनाधीन)

आपराधिक इतिहास अभियुक्त सुमित तिवारी पुत्र दुर्गा प्रसाद तिवारी

1) मु0अ0सं0-134/22, धारा-392 आईपीसी को0 नगर हमीरपुर (विवेचनाधीन)
2)मु0अ0सं0-135/22, धारा-364ए/307/452 आईपीसी को0 नगर हमीरपुर (विवेचनाधीन)
3) मु0अ0सं0-166/22, धारा-3/25 आर्म्स को0 नगर हमीरपुर (विवेचनाधीन)
4) मु0अ0सं0-167/22, धारा-4/25 आर्म्स एक्ट को0 नगर हमीरपुर (विवेचनाधीन)
5) मु0अ0सं0-169/22, धारा-41/411 आईपीसी को0 नगर हमीरपुर (विवेचनाधीन)
6) मु0अ0सं0-282/22, धारा-379 आईपीसी घाटमपुर कानपुर आउटर (विवेचनाधीन)
7)मु0अ0सं0-292/22, धारा-379/411 आईपीसी घाटमपुर कानपुर आउटर (विवेचनाधीन)

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1) प्र0नि0 को0 सदर दुर्ग विजय सिंह	6) का0 डेगराज
2) नि0 विनोद कुमार राय (एस0ओ0जी0 प्रभारी)	7) का0 कमलकान्त (एस0ओ0जी0 टीम)
3) उ0नि0 मनोज पाण्डेय	8)का0 उमाशंकर शुक्ला (एसओजी0 टीम)
4) का0 आदित्य गुप्ता	9) का0 अमित यादव (एस0ओ0जी0 टीम)
5) का0 अभिषेक तिवारी	10) का0 अमर बहादुर(एस0ओ0जी0 टीम)